राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2662/2025

धमेन्द्र गर्ग

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.04.2025
सुनवाई की दिनांक : 30.07.2025
आदेश की दिनांक : 30.07.2025
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के. निगम, अधिवक्ता

समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, (अध्यक्ष)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलो के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 6–6–2013 के द्वारा चिकित्सा अधिकारी के पद पर पीएचसी हथवाडी, धौलपुर की गई। (अनुलग्नक–2) उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 13–5–2013 को पीएचसी हथवारी धौलपुर में ज्वाईन किया। ततपश्चात दिनांक 17–6–2013 से पीजी अध्ययन हेतु अनुपस्थित रहा तथा दिनांक 6–9–2013 को अपीलार्थी जोईन करने गया तो तत्कालीन पीसीएमओ ने यह कहकर जोईन कराने से मना कर दिया कि अब मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अब तुम जयपुर जाकर ही निदेशालय में जोईन करो। ततपश्चात दिनांक 7–9–2013 से 28–10–2013 तक निदेशालय में उपस्थिति दी परन्तु पीजी के पेपर होने के बाद अपीलार्थी फिर 29–10–2013 से 4–12–2013 तक अनुपस्थित होने के बाद पीजी एग्जाम के बाद पुनः 5–12–2013 को निदेशालय में उपस्थिति दी। ततपश्चात दिनांक 5–3–2014 को पीएचसी सेवर में आदेश दिनांक 01–03–2014 के अनुसार ज्वाईन किया। बीसीएमओ ने पीएचसी से अपीलार्थी की पूरी अनुपस्थिति 17–6–2013 से 4–12–2013 तक भेजी तथा इस दिवस को निदेशक जन स्वास्थ्य ने अकार्य दिवस माना जबकि इस बीच की अवधि 7–9–2013 से 28–10–2013 तक निदेशालय में उपस्थित रहा जिसका वेतन आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ। इसके संबंध में अपीलार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। (अनुलग्नक–1) निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 2–6–2014 के द्वारा अपीलार्थी को 7–9–2013 से 28–10–2013 तक का निदेशालय में उपस्थिति का प्रमाण जारी किया फिर भी उक्त अवधि का अपीलार्थी को आज

दिनांक तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया जो कि अनुचित व अवैध है। (अनुलग्नक–4) आदेश दिनांक 7–8–2018 के द्वारा अपीलार्थी को सावचेत रहकर कार्य करने की चेतावनी देते हुए उसके विरूद्ध लम्बित प्रकरण को बंद कर दिनांक 17–6–2013 से 4–12–2013 तक को अकार्य दिवस मानते उक्त अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया गया। (अनुलग्नक–5)

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलार्थी के पक्ष में स्वीकृत 52 दिवस के अकार्य दिवस का वेतन दिलवाया जाए साथ ही उक्त अवधि के अवकाश को नियमित किया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किया जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपीलों के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष